



राज्य प्रभार प्रबन्धन  
मि.पदाधिकारी

पत्रांक 1प्र0आ0-15/2015 ...1517.../आ0प्र0  
बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

अनिरुद्ध कुमार,  
विशेष सचिव।

From  
श्रीवत्स / Separate Report  
P

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

विषय:

पटना-15, दिनांक- 27/4/15  
दिनांक 25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आये भूकम्प के फलस्वरूप हुए  
गृह क्षति का सर्वेक्षणोपरान्त प्रतिवेदन एवं अधियाचना भेजने के संबंध  
में।

140  
27-4-15

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिले में दिनांक  
25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आये भूकम्प के फलस्वरूप हुए गृह क्षति का सर्वेक्षण  
यथाशीघ्र कराकर राशि की गणना कर संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एवं अधियाचना  
दिनांक- 29.04.2015 तक भेजने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वनासभाजन  
27/4/15  
(अनिरुद्ध कुमार)  
विशेष सचिव

नामांक 130 / दिनांक 28.4.15

प्रतिपि: - अनुलग्नक प्रपत्र के साथ सभी जिले के अधिकारी (आ.प.) को भेजा जा रहा है एवं उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे आगे की विहित प्रपत्रों में प्रतिवेदन एवं अधियाचना विशेष रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाए।

आप (सहायक)

समाहरणालय, .....  
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

दिनांक 25.04.15 एवं 26.04.2015 को जारी भूकम्प के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त मकानों के लिए गृह क्षति अनुदान की गणना

क्र. सं०	प्रभावित प्रखण्डों की संख्या	प्रभावित पंचायतों / ग्रामों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	पूर्वतया (Pally) / गंभीर (Severely) रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	अधियाचित राशि @ Rs. 95100 प्रति मकान	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा मकानों की संख्या (जहाँ क्षति कम से कम 15% हो)	अधियाचित राशि @ Rs. 3200 प्रति कच्चा मकान	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या (जहाँ क्षति कम से कम 15% हो)	अधियाचित राशि @ Rs. 5200 प्रति मकान	क्षतिग्रस्त / नष्ट शोपड़ी की संख्या	अधियाचित राशि @ Rs. 4100 प्रति शोपड़ी	घर के साथ संलग्न क्षतिग्रस्त पशु शेरु की संख्या	अधियाचित राशि @ Rs. 2100 प्रति पशु शेरु	कुल अधियाचित राशि (6+8+10 +12+14)		
1	2	3	4	कच्चा * पक्का **	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

- \* कच्चा घर से अभिप्रेत होगा खण्डपोश घर
- \*\* पक्का घर से अभिप्रेत होगा पक्की छत वाला घर
- \*\*\* शोपड़ी से अभिप्रेत होगा फूस की छत वाला घर

जिला पदाधिकारी /  
आपर समाहर्तर् का  
हस्ताक्षर